संख्या-2470/चौवालिस-1/1988

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त उद्यमों/निगमों/नोयडा बीडा के
मुख्यकार्यकारी।

लखनऊ : दिनांक 9 दिसम्बर, 1988।

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1987) तथा उस पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति के प्रतिवेदन के संबंध में सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन तथा उ0प्र0 सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-41 सन् 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-818/44-1/82-95/82, दिनांक 19 जुलाई, 1982 एवं संख्या-3030/44-1/1986 दिनांक 2 फरवरी, 1987 का आंशिक संशोधन करके यह आदेश देते हैं कि वेतन समिति उ0प्र0 (1987) तथा मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप लागू होने वाले नये वेतनमानों में ऐसे सरकारी सेवकों जिन्हें सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जाये को अपने पैतृक विभाग में अनुमन्य नये वेतनमान में उनके मूल वेतन जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है, के 10 प्रतिशत की दर से

प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता0 जिसकी अधिकतम धनराशि रु0 500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी, दिनांक 1-1-88 से देय होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि दिनांक 1-1-86 से लागू नये वेतनमानों में उक्त प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा सरकारी सेवक के मूल वेतन को मिलाकर उसका योग रु0 6500 से अधिक न होने पावे। चूंकि "समता समिति" का गठन हो चुका है और वेतन समिति द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं किये जाने है, अतः इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को उक्त भत्ते का देय लाभ स्थागित न हो, इसके लिए निम्न मदों को जोड़कर वेतन सीमा निश्चित की जाय :-

(1) वर्तमान वेतनमानों में अनुमन्य मूल वेतन,
(2) उक्त मूल वेतन पर दिनांक 1-1-86 की दर से अनुमन्य महंगाई भत्ता,
(3) दिनांक 1-4-86 की दर पर अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता तथा
(4) अन्तरिम सहायता की तीनों किश्तों की कुल धनराशि।

2- उपर्युक्त व्यवस्था अन्तरिम रूप से स्वीकार की गई है जो समता समिति की रिपोर्ट पर शासन द्वारा निर्णय लेने के उपरान्त समाप्त हो जायेगी, जिसके आदेश यथासमय निर्गत किये जायेंगे।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति भत्ते की उपर्युक्त धनराशि को महंगाई भत्ता की गणना के लिए मूल वेतन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि प्रतिनियुक्ति प्रथा को यथासम्भव कम किया जाना चाहिए। केवल ऐसे उच्च पदों पर जहां अनुभवी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है और ऐसे व्यक्ति निगम में उपलब्ध न हो, उन्हीं पदों के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर पद धारकों को लेना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिये।

5- उपर्युक्त सीमा तक उक्त शासनादेशों को संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
आर0 रमणी
सचिव।

संख्या-2470 (1)/चौ0-1-88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के संबंधित सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिवालय के संबंधित अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (10 प्रतियों में)।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर
संयुक्त सचिव।